

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 06.03.2018
संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-06/2017,सा.प्र.3135./बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उप धारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा-संचालन नियमावली, 2010 के नियम-5 को तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करती हैं :-

“ 5. (1) परीक्षाएँ निम्नलिखित दो या अधिक चरणों में आयोजित की जाएँगी :-

(क) प्रारंभिक परीक्षा ।-(एक या एक से अधिक चरणों में)

आवेदन पत्रों की संख्या चार लाख से अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी।

(ख) मुख्य परीक्षा ।-

(2) आयोग, किसी भी परीक्षा के लिए, कम्प्यूटर आधारित किसी परीक्षा के संचालन हेतु निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डा.रणजीत कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-06/2017 सा.प्र.3135...../पटना-15, दिनांक-.....06.03.2018.....

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-06/2017 सा.प्र.3135...../पटना-15, दिनांक-.....06.03.2018.....


प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-06/2017 सा.प्र.3135...../पटना-15, दिनांक-.....06.03.2018.....


प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान

परिषद् सचिवालय/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-06/2017 सा.प्र..3135...../पटना-15, दिनांक-....06.03.2018.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 01.03.2018 की बैठक में मद संख्या 4 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-06/2017 सा.प्र.....3135...../पटना-15, दिनांक-....06.03.2018.....

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-06/2017,सा.प्र.-3136 दिनांक 06.03.2018 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3135 दिनांक 06.03.2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

NOTIFICATION

Patna, Dated ...06.03.2018.....

21/S.S.C.-(Rules)-06/2017 Ka-3135 . In exercise of the powers conferred under sub section (1) of section-12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act, 7, 2002), the State Government of substitutes the Rule-5 of the Bihar Staff Selection Commission Conduct of Examination Rules, 2010 by the following with immediate effect :-

‘5. (1) The examination shall be held in the following two or more stages :-

(a) Preliminary examination

(One or More than one stages)

The preliminary examination shall be conducted in more than one stages if the number of applications is more than four lakhs. “

(b) Main examination

(2) The Commission it self shall be competent to take decision for the conduct of Computer based examination for any examination."

By the order of Governor of Bihar,


(Dr. Ranjit Kumar Singh)

Additional Secretary to Government.

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-06/2017Ka- 3135....Dated- 06.03.2018

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section with C.D. in two copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to send its copy to this Department.


Additional Secretary to Government..

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-06/2017Ka- 3135Dated- 06.03.2018

Copy forwarded to A.G. Bihar, Patna/ Treasury Officer Secretariat Treasury Shichai Bhawan, Patna for Information and necessary action.


Additional Secretary to Government.

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-06/2017Ka- 3135....Dated- 06.03.2018

Copy forwarded to All Departments/All Head of the Department/ All Divisional Commissioners/ All District Magistrates/Deputy Secretary, Chief Minister Secretariat/Secretary,

Bihar Legislative Assembly Secretariat/Secretary, Bihar Legislative Council Secretariat /Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/ Secretary, B.P.S.C, Patna/ Secretary, Bihar Technical Staff Selection Commission, Patna for information and necessary action.


Additional Secretary to Government.

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-06/2017Ka- 3135 .Dated- 06.03.2018

Copy forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.


Additional Secretary to Government.